DRIVING WITH A MEDICAL CONDITION

किसी चिकित्सीय स्थिति के साथ ड्राइव करना

Chest Heart & Stroke Scotland

आवश्यक मार्गदर्शिका

ESSENTIAL GUIDE

यह आवश्यक मार्गदर्शिका किसी चिकित्सीय स्थिति के साथ ड्राइव करने के बारे में है।

यह बताती है:

- चिकित्सीय स्थिति के साथ ड्राइव करने से जुड़ा कानून।
- अपने लाइसेंस को स्वैच्छिक रूप से सरेन्डर करने का क्या मतलब होता है।
- DVLA चिकित्सीय जाँच में क्या होता है।
- छाती, हृदय या स्ट्रोक की स्थिति के साथ ड्राइव करने से जुड़ा कानून।
- फिर से ड्राइविंग शुरू करने के बारे में जानकारी।

यह जानकारी DVLA के मार्गदर्शन **"Assessing Fitness to Drive: A Guide for Medical Professionals"** **(ड्राइव करने के लिए योग्यता का आकलन करना: चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक मार्गदर्शिका)** से ली गई है।

चिकित्सीय स्थिति के साथ ड्राइव करने से जुड़ा कानून

कानूनन आपको ड्राइवर और वाहन लाइसेंसिंग एजेंसी (DVLA) को ऐसी किसी भी चिकित्सीय स्थिति के बारे में बताना होगा, जिससे आपकी सुरक्षित रूप से ड्राइव करने की क्षमता प्रभावित हो। आपके डॉक्टर (या आपकी स्थिति की जानकारी वाले एक स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ) आपको बता पाएंगे कि क्या आपको DVLA को सूचित करने की ज़रूरत है।

अगर आप DVLA को ऐसी चिकित्सीय स्थिति के बारे में नहीं बताते/बताती हैं जो आपकी सुरक्षित रूप से ड्राइव करने की क्षमता को प्रभावित करे, तो आप पर £1,000 तक का जुर्माना लग सकता है।

अगर आप अपनी चिकित्सीय स्थिति के परिणाम स्वरूप किसी दुर्घटना में शामिल हों, तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

DVLA को बताना

सुरक्षा कारणों से DVLA के कौन ड्राइव कर सकता है और कौन नहीं इसके बारे में कठोर नियम हैं।

अगर आपके डॉक्टर कहें कि आप ड्राइव करने के लिए फिट नहीं हैं, तो आपको DVLA को बताना होगा और आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए।

अगर ऐसा है, तो आप या तो ख़ुद अपने लाइसेंस को स्वैच्छिक रूप से सरेंडर करने का विकल्प चुन सकते/सकती हैं **या** आप DVLA को यह अनुमति दे सकते/सकती हैं कि वे अपने ख़ुद का मूल्यांकन संचालित करके आपके लाइसेंस के बारे में निर्णय लें।

DVLA से संपर्क करने के तरीके के बारे में जानकारी इस मार्गदर्शिका के अंत में शामिल है।

अपने लाइसेंस को स्वैच्छिक रूप से सरेन्डर करना

आप स्वैच्छिक रूप से अपना लाइसेंस सरेन्डर करना चुन सकते/सकती हैं। इसका मतलब है कि जब तक आपके डॉक्टर इसे सुरक्षित न मानें, तब तक आपका ड्राइव करने का इरादा नहीं है।

आपको DVLA का फॉर्म "**Declaration of Surrender for Medical Reasons**" (चिकित्सीय कारणों से सरेंडर की घोषणा) भरना होगा। DVLA इस समय आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

अगर आप बाद में फिर से ड्राइव करना शुरू करना चाहें, तो आपको DVLA से अपना लाइसेंस वापस पाने के लिए आवेदन करना होगा। आपकी परिस्थिति के आधार पर, आपका आवेदन DVLA के पास हो उस दौरान हो सकता है कि आप ड्राइव कर पाएं।

अधिक जानकारी के लिए, DVLA का मार्गदर्शन "**Can I drive while my application is with DVLA?** (मेरा आवेदन DVLA के पास हो तब क्या मैं ड्राइव कर सकता/सकती हूँ?)" देखें। आप इसे **www.gov.uk** पर जा कर "**INF188/6**" खोज कर ढूँढ सकते हैं।

DVLA चिकित्सा जाँच

DVLA आपकी ड्राइविंग को प्रभावित कर सके ऐसी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी बात पर विचार करने के लिए जाँच करेगा। इस जाँच के लिए:

- आपको एक चिकित्सीय प्रश्नावली पूरी करनी होगी।
- आपके डॉक्टर और स्पेशियलिस्ट को जानकारी प्रदान करनी पड़ सकती है - DVLA को इसकी माँग करने के लिए आपकी अनुमति की ज़रूरत होगी।
- हो सकता है कि एक अन्य डॉक्टर द्वारा आपके स्वतंत्र आकलन की आवश्यकता हो और/या आपको ड्राइविंग आकलन के लिए स्कॉटिश ड्राइविंग असेसमेंट सर्विस में जाना पड़े।

अगर आप स्वैच्छिक सरेंडर के बाद अपने लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन कर रहे हैं, तो आपके एक ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फॉर्म भी भरना होगा।

जाँच के बाद DVLA का ड्राइवर्स मेडिकल ग्रूप आपके लाइसेंस के बारे में निर्णय लेगा। आपको परिणाम पता चलें इसमें कुछ महीने लग सकते हैं।

निर्णय इनमें से एक हो सकता है:

- आप अपना लाइसेंस रख सकते हैं।
- आपको एक निर्धारित अवधि के लिए ही लाइसेंस दिया जाता है। जब यह अवधि पूरी हो जाती है, तो आप एक और लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं, और DVLA जाँच करेगा कि क्या आप अब ड्राइविंग के लिए चिकित्सीय मानक पूरे करते हैं।
- आपको एक खास लाइसेंस दिया जता है, जिसके लिए वाहन में अनुकूलनों और / या खास नियंत्रणों की ज़रूरत होगी।
- आपके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है (ले लिया जाता है)।

अगर आपकी स्थिति इस बिंदु तक बेहतर हो, कि आपके डॉक्टर को लगे कि आप फिर से ड्राइव करने के लिए सुरक्षित हैं, तो आप एक रद्द किए गए या नहीं दिए गए लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं।

अल्पकालीन अक्षमता आकलन लाइसेंस

अगर आप उसके रद्द किए जाने के बाद लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन कर ते हैं, तो DVLA आपको एक अल्पकालीन अक्षमता आकलन लाइसेंस (Provisional Disability Assessment Licence, PDAL) जारी कर सकता है।

PDAL आपको ऑन-रोड ड्राइविंग असेसमेंट लेने देता है, और जहाँ उपयुक्त हो, असेसमेंट से पहले पुनःप्रशिक्षण की अवधि भी प्रदान करता है।

असेसमेंट स्कॉटिश ड्राइविंग असेसमेंट सर्विस द्वारा किया जाएगा। यह एक ड्राइविंग टेस्ट **नहीं** है। इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि आप फिर से ड्राइविंग करना शुरू करने के लिए तैयार हैं या नहीं।

आपके असेसमेंट के बाद आपके असेसर आपकी ड्राइविंग के बारे में एक रिपोर्ट बनाएंगे।

इस रिपोर्ट की एक प्रति एक DVLA मेडिकल डॉक्टर को भेजी जाएगी, जो इस रिपोर्ट और किसी भी अन्य चिकित्सीय जानकारी का उपयोग आपकी ड्राइविंग के बारे में निर्णय लेने के लिए करेंगे।

किसी चिकित्सीय स्थिति के साथ ड्राइव करना

अगर आपको कोई दीर्घकालिक छाती या हृदय की स्थिति होने का निदान किया गया हो, या अगर आपको ट्रांज़िएन्ट इस्कीमिक अटैक (TIA) या स्ट्रोक हुआ हो, तो आपके डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं कि आपको DVLA को बताने की ज़रूरत है या नहीं।

अगर आपके लिए DVLA को बताना ज़रूरी न हो, तब भी आपको निर्धारित समय के लिए ड्राइव करना बंद करना पड़ सकता है। यह आवश्यक है या नहीं इसका आधार आपकी स्थिति, आपके लक्षणों और आपके पास किस प्रकार का लाइसेंस है, इस पर होगा। अगर आपको पक्का पता न हो कि यह आपको प्रभावित करता है या नहीं, तो अपने डॉक्टर से पूछें।

आप ड्राइव करना जारी रख सकें तब भी, आपको पक्का पता होना चाहिए, कि आप हमेशा किसी वाहन को सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर पाएंगे/पाएंगी। अगर आपको अपनी सुरक्षित रूप से ड्राइव करने की क्षमता के बारे में कोई चिंता हो, तो अपने GP से बात करें।

आगे के पृष्ठ खास स्थितियों के बारे में अधिक विस्तार से बताते हैं।

दीर्घकालिक छाती संबंधी स्थिति के साथ ड्राइव करना

अगर आपको कोई दीर्घकालिक छाती संबंधी स्थिति है, तो **आपके ड्राइविंग पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है**। अगर आप नियमित रूप से चक्कर आने, बेहोश होने या होश खो देने का अनुभव नहीं करते/करती हैं, तो आपको DVLA बताने की ज़रूरत नहीं है।

अगर आप ऑक्सीजन इस्तेमाल करते/करती हैं और **अपनी कार में अपने ऑक्सीजन सिलिंडर या ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर को लाते-ले जाते हैं**, तो आपको अपने बीमा प्रदाता को बताना होगा। इसको आपके बीमा प्रीमियमों को प्रभावित नहीं करना चाहिए।

ड्राइव करते वक्त आपका ऑक्सीजन हमेशा सुरक्षित रखा गया होना चाहिए और जब उपयोग न किया जा रहा हो, तो यह कार के बूट में होना चाहिए।

कार में ईंधन भरते वक्त आपको अपने ऑक्सीजन सिलिंडर या ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर का उपयोग **कभी नहीं** करना चाहिए, क्योंकि इससे आग का बड़ा जोखिम होता है।

हमारी ऐडवाइस लाइन 0808 801 0899 पर मुफ़्त कॉल करें

हृदय संबंधी स्थिति के साथ ड्राइव करना

हृदय संबंधी स्थिति के प्रभाव का आधार आपके पास किस तरह का लाइसेंस है और आपको कौन सी स्थिति है, इस पर होगा।

केटेगरी 1: कार/मोटरसाइकिल का लाइसेंस

अगर आपको इनमें से कुछ हुआ हो, तो आपको DVLA को बताने की ज़रूरत नहीं है:

- दिल का दौरा
- कोरोनरी आर्टरी बायपास सर्जरी
- हृदय के वाल्व का रोग या हृदय के वाल्व की सर्जरी
- ऐन्जाइना।

जहाँ आपको DVLA को इन स्थितियों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर भी जब तक आपके डॉक्टर या स्पेशियलिस्ट यह न कहें कि आपके लिए ड्राइव करना सुरक्षित है, ड्राइव करना बंद करना होगा।

चुनी हुई स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के लिए नियम

अगर आपकी हृदय संबंधी स्थिति के कारण अचानक चक्कर आए या बेहोशी हो, तो आपको **अवश्य ही** DVLA बताना होगा और तब तक **अवश्य ही ड्राइविंग बंद करना होगा** जब तक कि आप से कोई डॉक्टर या स्पेशियलिस्ट न कहें कि ऐसा करना सुरक्षित है।

ये नियम उन स्थितियों पर भी लागू होते हैं, जिनके कारण आपको **पेसमेकर** लगावाना पड़े या **इम्प्लान्ट करने लायक कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर** (ICD) लगवाना पड़े। आपको दोनों में से कोई भी लगाया गया हो तो आपको **अवश्य ही DVLA को बताना होगा**। ICD फिट करवाने पर यह आवश्यक होता है कि आप उसके बाद 1 से 6 महीनों तक ड्राइव न करें।

दिल का दौरा या दिल के ऑपरिशन सहित ऐक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम

आपको DVLA को बताना नहीं होगा, लेकिन आपको कम से कम 1 हफ्ते (अगर उपचार सफल हुआ हो, और आगे कोई लक्षण न हों) या 1 महीने (अगर आपके पास स्पष्ट चिकित्सीय स्वीकृति न हो तो) के लिए ड्राइव करना बंद करना होगा

ऐन्जाइना

आपको DVLA को नहीं बताना होगा और आप ड्राइव करना जारी रख सकते हैं, **अलावा इसके** कि आपको लक्षण हो रहे हों। अगर ऐसा होता है, तो आपको जब तक लक्षण नियंत्रण में न आ जाए, तब तक ड्राइविंग बंद कर देना होगा।

कोरोनरी एंजियोप्लास्टी

आपको DVLA को नहीं बताना होगा, लेकिन अगर एंजियोप्लास्टी सफल हुई हो, तो आपको कम से कम **1 हफ्ते** तक, और अगर यह सफल न हुई हो तो कम से कम 4 हफ्तों तक ड्राइविंग बंद करना होगा।

www.gov.uk/heart-attacks-and-driving पर हार्ट अटैक या एंजियोप्लास्टी के बाद ड्राइविंग के बारे में अधिक जानकारी है।

स्पोन्टेनियस कोरोनी आर्टरी डाइसेक्शन (SCAD)

अगर आपने SCAD का अनुभव किया हो, तो आपको कम से कम **4 हफ्तों** तक ड्राइव नहीं करना चाहिए, लेकिन DVLA को बताना तब तक ज़रूरी नहीं है जब तक कि आपको अन्य लक्षण भी न हों।

दिल की धड़कन रुकना (हार्ट फेइल्यर)

हार्ट फेइल्यर वाले अधिकतर लोगों को DVLA को जानकारी नहीं देनी पड़ती या ड्राइविंग बंद नहीं करना पड़ता है।

अगर आपको ऐसे लक्षण हैं, जो आपकी ड्राइव करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं (जैसे कि चक्कर आना, देखने में अवरोध या बेहोशी), या अगर आपको **क्लास IV हार्ट फेइल्यर** होने का निदान किया गया है, तो आपको **DVLA को सूचित करना होगा** और हो सकता है कि आप ड्राइव न कर पाएं।

हृदय में एरिद्मिया

हृदय में एरिद्मिया आपकी हृदय की धड़कन में कोई भी अपसामान्यता है। आपको तब तक ड्राइव करना बंद कर देना चाहिए, जब तक कि आपके एरिद्मिया को **कम से कम 4 हफ्तों** तक नियंत्रित न किया जाए। अगर आप ड्राइव करते वक्त एरिद्मिया को अनुभव करें, तो जैसे ही मौका मिले, गाड़ी को साइड में खड़ी कर दें और जब तक लक्षण चले न जाएं, ड्राइव न करें।

अगर आपको **अनियंत्रित एरिद्मिया** हो, या अगर इससे ऐसे **लक्षण** हों, जो आपकी ड्राइविंग को प्रभावित कर सकते हैं (जैसे कि चक्कर आना या बेहोशी) तो आपको **DVLA को सूचित** करना होगा।

पेसमेकर इम्प्लांट

अगर आपने पेसमेकर लगवाया हो तो आपको **DVLA को सूचित करना** होगा और यह लगाया जाए उसके कम से कम **1 हफ्ते** के लिए ड्राइविंग करना बंद करना होगा।

इम्प्लांट करने योग्य कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर (ICD)

अगर आपने एक ICD लगवाया हो, तो आपको इसके लगाए जाने के कम से कम **6 हफ्ते** बाद तक ड्राइव नहीं करना चाहिए और आपको **DVLA को सूचित** करना होगा।

एऑर्टिक एन्युरिज़्म

अगर आपको 6 सेंटीमीटर से बड़ा एऑर्टिक एन्युरिज़्म हुआ हो (अगर आपको पक्का पता न हो, तो अपने डॉक्टर से पूछें), तो आपको **DVLA को सूचित करना होगा।** आप ड्राइव कर पाएंगे/पाएंगी या नहीं इसका आधार आपके लक्षणों और एन्युरिज़्म के आकार पर रहेगा।

एऑर्टिक डाइसेक्शन

अगर आपको एऑर्टिक डाइसेक्शन होने का निदान किया गया हो, तो आपको **DVLA को सूचित** करना होगा और **ड्राइव करना बंद करना होगा।** सफल सर्जरी के बाद आप अपने लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन कर सकते/सकती हैं।

ग्रूप 2: बस, कोच या लॉरी लाइसेंस

हृदय संबंधी अधिकतर स्थितियों के लिए, अगर आपके पास बस, कोच या लॉरी का लाइसेंस हो, तो आपको DVLA को बताना होगा, और हो सकता है कि आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए।

अगर आपको सक्रिय रूप से ऐन्जाइना या अन्य हृदय संबंधी लक्षणों का अनुभव हो रहा हो, तो ड्राइव न करें।

कुछ मामलों में, निर्धारित समय के बाद आपका आपके GP या DVLA के द्वारा आकलन किया जा सकता है, ताकि आपको पता चले कि आपको फिर से ड्राइव करने की अनुमति है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर छह महीनों तक आपको ऐन्जाइना के लक्षण न हुए हों, तो आप अपने लाइसेंस के लिए पुनः आवेदन कर सकते/सकती हैं।

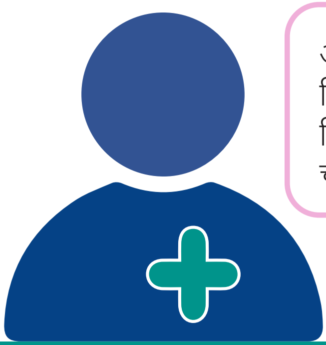

आपके GP आपको आपकी विशेष स्थिति के बारे में नियमों पर सलाह दे पाने चाहिए।

अगर आपने एक ICD (इम्प्लांट करने योग्य कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर) लगवाया हो, तो आपके **पास ग्रूप 2 ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो सकता है** या आप भारी वाहन नहीं चला सकते/सकती हैं।

जैसे ही आपका निदान हो, आपको DVLA को अपनी हृदय संबंधी स्थिति के बारे में सूचित करना होगा। आपको DVLA को हृदय की किसी भी सर्जरी या उपचार के बारे में यथाशीघ्र सूचित करना होगा। अगर आप पहली बार एक ग्रूप 2 लाइसेंस का आवेदन कर रहे/रही हों, तो आपको DVLA को पहले के किन्हीं भी हृदय से जुड़े निदान या उपचार के बारे में सूचित करना होगा।

हृदय से जुड़ी कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जिनके बारे में आपको DVLA को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है:

- **हाई ब्लड प्रेशर**, बशर्ते कि आपका सिस्टॉलिक प्रेशर 180mmHg से नीचे और आपका डाएस्टॉलिक प्रेशर 100mmHg से नीचे हो।
- **एसिम्टोमेटिक हार्ट वाल्व डिसीज़**
- **हल्का से मध्यम एऑर्टिक स्टेनोसिस**।

हृदय संबंधी कोई भी अन्य स्थिति या ऐसी कोई भी स्थिति जिससे चक्कर आए, बेहोशी हो या ध्यान बँटे, की रिपोर्ट की जाना आवश्यक है।

स्ट्रोक या TIA के बाद ड्राइव करना

स्ट्रोक या ट्रांज़िएन्ट इस्कीमिक अटैक (TIA) आपकी सुरक्षित रूप से ड्राइव करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

स्ट्रोक या TIA के बाद ड्राइव करने की आपकी क्षमता का आधार आपके लक्षणों और आपके पास है उस लाइसेंस के प्रकार पर रहेगा।

आपके हाथ या पैरों की अक्षमता से आपको ड्राइविंग बंद करना पड़े यह जरूरी नहीं है। कुछ मामलों में वाहनों को आप ड्राइव करना जारी रख पाएं इसके लिए अनुकूलित किया जा सकता है। अगर आप वाहन चला सकें इसके लिए उसमें कौन से अनुकूलन होने चाहिए इसके नियम लागू किए गए हों, तो इन्हें आपके ड्राइविंग लाइसेंस में दिखाया जाना चाहिए।

हृदय की स्थितियों में है वैसे ही, स्ट्रोक या TIA के प्रभाव का आधार लाइसेंस प्रकार पर होगा। इसके बाद वाले पृष्ठों में इन अंतरों की बात की गई है।

अधिक जानकारी के लिए **www.gov.uk/stroke-and-driving** देखें।

ग्रूप 1: कार या मोटर साइकिल के लिए लाइसेंस

स्ट्रोक या एकल TIA के बाद आपको कम से कम 1 महीने तक ड्राइव नहीं करना चाहिए। आपको DVLA को सूचित करने की ज़रूरत नहीं है।

अगर आपको एक से अधिक TIA हुआ हो, तो आपको अपने **सब से हाली** TIA से एक महीने से अधिक तक ड्राइव नहीं करना चाहिए।

आपको DVLA को केवल तभी बताना होगा, अगर:

आपको अपने स्ट्रोक या TIA के बाद 1 महीने के बाद तक सुरक्षित तरीके से ड्राइव करने की क्षमता को प्रभावित करने वाली जटिलताएं हों

आपको किसी भी तरह का सीज़र (दौरा) हुआ हो

आपको अपने स्ट्रोक के परिणाम स्वरूप दिमाग की सर्जरी की ज़रूरत पड़ी हो

आपको चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति आपके सुरक्षित रूप से ड्राइव कर पाने की क्षमता के बारे में चिंतित है।

ग्रूप 2: बस, कोच या लॉरी लाइसेंस

अगर आपको स्ट्रोक या TIA हुआ हो, तो आपको DVLA को बताना होगा। आफके लाइसेंस को कम से कम 12 महीनों के लिए रद्द कर दिया जाएगा।

अगर आपको जारी जटिलताएं न हों और ड्राइव करने के लिए सुरक्षित हों, तो आप इस समय के बाद अपने लाइसेंस के लिए पुन:आवेदन कर पाएं ऐसा हो सकता है।

पुनः लाइसेंस मिलना चिकित्सीय रिपोर्ट
और परीक्षणों पर आधारित हो सकता है, जिसमें एक कसरत ECG शामिल है।

अगर आपको एक से ज्यादा स्ट्रोक या TIA हुआ हो, तो आपको फंक्शनल कार्डियाक परीक्षण करवाने होंगे, ताकि पता चल सके कि क्या इसके फिर से होने की संभावना है।

ग्रूप 3: टैक्सी लाइसेंस

ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट कमिटी अनुशंसा करती है कि स्थानीय काउंसिल स्ट्रोक या TIA के बाद टैक्सी लाइसेंस पर वही मर्यादाएं लगाएं जो ग्रूप 2 लाइसेंस धारकों पर लगाए जाते हैं।

इसका मतलब है कि आपको DVLA को बताना होगा और आपका ग्रूप 3 लाइसेंस कम से कम 12 महीनों के लिए रद्द कर दिया जाएगा।

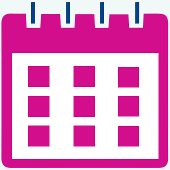

आपके इलाके में कौन से नियंत्रण लागू हैं यह जानने के लिए अपनी स्थानीय लाइसेंसिग काउंसिल से पूछताछ करें।

ड्राइविंग फिर से शुरू करना

स्कॉटिश ड्राइविंग असेसमेंट सर्विस

SMART स्कॉटिश ड्राइविंग असेसमेंट सर्विस ड्राइविंग असेसमेंट प्रदान करती है। यह DVLA की ड्राइव करने के लिए फिटनेस जाँच के हिस्से के रूप में आवश्यक हो सकती है।

SMART असेसमेंट सर्विस एडिनबरा में एस्टली एइन्स्लाई अस्पताल में आधारित है। यह सर्विस उन लोगों के लिए ड्राइविंग के बारे में सलाह और जानकारी भी प्रदान करती है, जिनको कोई चिकित्सीय स्थिति हो, चोट लगी हो या कोई अक्षमता हो। इसमें वाहन अनुकूलनों और ड्राइविंग लेसन्स के बारे में जानकारी शामिल है। आपको इस सर्विस के लिए अपने डॉक्टर (GP या हॉस्पिटल स्पेशियलिस्ट) के द्वारा या DVLA डॉक्टर के द्वारा रेफ़र किया जाना आवश्यक है। आप और जानकारी ऑनलाइन यहाँ पा सकते हैं

www.smart.scot.nhs.uk/service/driving-assessment.

लोथियन के बाहर मेडिकल असेसमेंट

अगर आप लोथियन में या उसके करीब नहीं रहते/रहती हैं, तो आपके लिए स्कॉटिश ड्राइविंग असेसमेंट सेंटर में मौजूद रहना मुश्किल हो सकता है।

अगर ऐसा है, तो अपने डॉक्टर या स्पेशियलिस्ट स्वास्थ्य पेशेवर से पूछें कि क्या ड्राइविंग असेसमेंट के लिए विकल्प हैं। आपको आपके GP या किसी स्थानीय अस्पताल में असेस किया जा सकता है।

वैकल्पिक परिवहन

जब तक आप ड्राइव करने में असमर्थ हैं, तब तक विकल्पों के बारे में जानना उपयोगी हो सकता है।

आप बहुत से सार्वजनिक परिवहन के बारे में जानकारी और यात्राओं की योजना बनाने में मदद यहाँ पा सकते/सकती हैं **www.travelinescotland.com**.

दोस्तों और परिवार से परिवहन के लिए मदद माँगना भी उपयोगी हो सकता है।

ड्राइविंग लेसन्स

आप रिफ्रेशर ड्राइविंग लेसन्स को आपके आत्मविश्वास को पुनः बनाने में मददगार पा सकते हैं।

आपको ड्राइविंग लेसन्स तभी मिल सकते हैं अगर आपके पास एक वैध, रद्द न किया हुआ लाइसेंस हो, और अगर आपके डॉक्टर ने सहमति की हो, कि आप ड्राइव करने के लिए सुरक्षित हैं।

अगर आपने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया हो या अगर उसका समय समाप्त हो गया हो, तो आपको लेसन्स शुरू करने से पहले DVLA के पास आवेदन करके एक वैध लाइसेंस पाना होगा।

जब तक DVLA आपके लाइसेंस आवेदन पर विचार कर रहा हो, तब तक रोड ट्रैफिक ऐक्ट का खंड 88 आपको ड्राइव करने की अनुमति दे सकता है। अधिक जानकारी DVLA की मार्गदर्शिका “Can I drive while my licence is with the DVLA?” (मेरा लाइसेंस DVLA के पास हो तब क्या मैं ड्राइव कर सकता/सकती हूँ?) में उपलब्ध है। आप इसे **www.gov.uk** पर जाकर “**INF188/6**” खोज कर ढूँढ सकते/सकती हैं।

खंड 88 उन पर लागू होता है या नहीं इसका निर्णय लेने का काम ड्राइवर का है।

बीमा

आपको आपकी ड्राइव करने की क्षमता को प्रभावित कर सके ऐसी आपको हो ऐसी किसी भी स्थिति की अपनी बीमा कंपनी को जानकारी देनी चाहिए। आपको उन्हें अपने वाहन में किन्हीं भी अनुकूलनों के बारे में और आप नियमित रूप से जिस ऑक्सीजन उपकरण को लेकर चलते/चलती हैं उसके बारे में भी बताना चाहिए।

हो सकता है कि आपकी बीमा कंपनी एक डॉक्टर की रिपोर्ट की माँग करे जिसमें यह लिखा हो कि आपके लिए ड्राइव करना सुरक्षित है।

आपको शायद ऐसी बीमा कंपनी भी खोजनी पड़े, जो आपको कवर करेगी। चेस्ट हार्ट एंड स्ट्रोक स्कॉटलैंड के पास एक तथ्य पत्रिका है, जिसमें ऐसी बीमा कंपनियों की सूची है जो आपको दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के साथ बीमा प्रदान कर सकती हैं।

ब्लू बैज स्कीम

ब्लू बैज स्कीम चलने-फिरने में मुश्किल वाले लोगों को उन्हें जहाँ जाने की ज़रूरत हो उस स्थान से नज़दीक पार्क करने देती है। ब्लू बैजिस को डिसेबल्ड पार्किंग परमिट्स भी कहा जाता है।

आप अपनी स्थानीय काउंसिल से ऑनलाइन ब्लू बैज के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। ब्लू बैज के लिए आप से £20 तक का शुल्क लिया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए **www.mygov.scot/transport-travel/park-permit** पर जाएं।

DVLA संपर्क विवरण और अधिक जानकारी

DVLA सामान्य ड्राइवर लाइसेंसिंग पूछताछ

टेलीफोन: 0300 790 6801

वेब: www.gov.uk/contact-the-dvla

DVLA चिकित्सीय पूछताछ और चिकित्सीय स्थिति की घोषणा प्रश्नावलियाँ

टेलीफोन: 0300 790 6806

वेब: www.gov.uk/health-conditions-and-driving

डाक पता: Drivers' Medical Enquiries, DVLA, Swansea, SA99 1TU

अक्षमता या चिकित्सीय स्थिति के साथ ड्राइव करने, ब्लुबैज स्कीम और आप अक्षम हों तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने सहित, ड्राइविंग और परिवहन संबंधी समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए **www.gov.uk/browse/driving** पर जाएं।

हमारे प्रकाशन स्कॉटलैंड में सभी के लिए, PDF और प्रिंट में, निःशुल्क हैं। इन सभी को **www.chss.org.uk/resources-hub** पर देखें

हमारी ऐडवाइस लाइन टीम से निःशुल्क, गोपनीय सलाह और सहयोग के लिए संपर्क करें:

0808 801 0899 (सोम-शुक्र सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक)

66777 पर ADVICE टेक्स्ट करें

adviceline@chss.org.uk

स्कॉटलैंड में हर पांच में से एक व्यक्ति छाती, हृदय और स्ट्रोक की बीमारी या लॉन्ग कोविड से प्रभावित है। आप स्कॉटलैंड में अधिक लोगों की मदद करने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं यह जानने के लिए **www.chss.org.uk/supportus** पर जाएं।

फीडबैक देने या वैकल्पिक फ़ॉर्मेट का अनुरोध करने के लिए यहाँ ईमेल भेजें: **health.information@chss.org.uk**

Chest Heart & Stroke Scotland

अद्यतन किया गया जुलाई 2024
अगली समीक्षा: जुलाई 2027

E9-v.1.0-Aug2025

F054

हमारे सभी संसाधनों को देखने के लिए यहां स्कैन करें!

स्कॉटिश चैरिटी (नं SC018761)